






# उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

आदेश - पत्रक

L. C. R. प्राप्त

वाद संख्या : House Control Appeal - 06/12

पक्षकार का नाम: शिवजी सिंह बनाम मनसुखलाल कोटेजा वगैरह

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश पर की कार्रवाई के बटिप्पणी तार सहित                              |
|------------------------------|---|---|
|                              | <p>अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ में मकान नियंत्रण वाद संख्या-01/07 मनसुखलाल कोटेजा वगैरह बनाम शिवजी सिंह में दिनांक- 24.01.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर करने हेतु आवेदन दिया है, जिसे अंगीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग करें। विपक्षी को सूचित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 16.03.2012 को रखें।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>                     उपायुक्त,<br/>                     रामगढ़।                 </p> | <p>132/12-03-12<br/> <u>133</u><br/>                     12-03-12</p> |
| 16-03-12                     | <p>निम्न न्यायालय का अभिलेख अप्राप्त।<br/>                     गौरिस वापिस का अप्राप्त।<br/>                     अपीलार्थी - वकालत हाजरी।<br/>                     24.4.12. </p>   |   |
| 24-04-12                     | <p>निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त।<br/>                     अपीलार्थी - वकालत हाजरी।<br/>                     15/5/12 </p>   | L. C. R. प्राप्त  |
| 15-05-12                     | <p>अपीलार्थी - वकालत हाजरी।<br/>                     11/6/12 </p>  |   |
| 1-06-12                      | <p>अपीलार्थी - वकालत हाजरी।<br/>                     22.06.12. </p>  |   |
| 22-06-12                     | <p>अपीलार्थी - वकालत हाजरी। P.O. अन्त कार्य में लक्ष<br/>                     अभिलेख दिनांक 17-07-12 को रखें।</p>   | <p style="text-align: right;">प्र० ६०३१०</p>                          |

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर जो नई  
कार्रवाई के बाद न  
टिप्पणी लगाए

02/11/18


अपीलार्थी — अनुपस्थित / बाद में कालतन इज्जत  
विपक्षी — अनुपस्थित  
आदेश हेतु रखें।



02.11.2018

--: आदेश :-

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय में लंबांति है। फलतः उक्त परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना नियम के प्रतिकूल होगा। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।

  
उपायुक्त,  
रामगढ़।